भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 269
02.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

सुरक्षा मानक पूरा न करने वाले वाहनों के लिए नीति

269. **श्री अरुप चक्रवर्तीः**

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने सुरक्षा मानक पूरा न करने वाले चार पहिया वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने सुरक्षा मानक पूरा नहीं करने वाले वाहनों के लिए एक अनिवार्य रिकॉल पॉलिसी विकसित की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सुरक्षा खामियों के लिए ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा वापस लिए गए वाहनों की संख्या कितनी है और इनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख) केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सीएमवीआर) के नियम 126 में प्रावधान है कि प्रत्येक वाहन निर्माता या आयातक को उस वाहन का प्रोटोटाइप (जिसे वे निर्मित या आयात करने वाले हैं) नियमों में निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों को परीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा ताकि परीक्षण एजेंसी वाहन संबंधित अधिनियम के प्रावधानों और सीएमवीआर 1989 के अंतर्गत नियमों के अनुपालन प्रमाणपत्र प्रदान कर सके।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, मंत्रालय "भारत में सड़क दुर्घटनाएं" शीर्षक से वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाएँ कई कारणों से होती हैं, जैसे कि अधिक गति से वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग, शराब/नशे की स्थिति में वाहन चलाना, गलत साइड/लेन में गाड़ी चलाना, लाल बत्ती पार करना, हेलमेट और सीट

बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, वाहन की स्थिति, मौसम की स्थिति, सड़क की स्थिति, चालक/साइकिल सवार/पैदल यात्री की गलती इत्यादि ।

(ग) और (घ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 110क मोटर वाहनों की रीकॉल से संबंधित है। यह केंद्रीय सरकार को यह अधिकार देती है कि वह किसी निर्माता को किसी विशेष प्रकार के वाहन या उसके वेरिएंट्स को रीकॉल करने का निर्देश दे सके। तदनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सा.का.नि.173(अ) दिनांक 11 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में नया नियम 127ग सम्मिलित किया है, जो दोषपूर्ण मोटर वाहनों की रीकॉल और रीकॉल नोटिस की प्रक्रिया निर्धारित करता है।.

(ड़.) भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता संघ (सियाम) द्वारा रखे गए डेटा के अनुसार, सियाम के स्वैच्छिक रीकॉल कोड के अंतर्गत, देश में सुरक्षा दोषों के कारण पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में रीकॉल किए गए वाहनों की कुल संख्या, उनके वर्ग/प्रकार के अनुसार, निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**वर्ष**	**दुपहिया**	**यात्री कार**	**मोटर वाहनों की कुल संख्या**
1	2022	1,94,397	94,368	2,88,765
2	2023	1,57,820	1,27,086	2,84,906
3	2024	8,33,476	30,875	8,64,351
4	2025(26 नवंबर, 2025 तक)	5,918	1,13,255	1,19,173
	कुल योग	**11,91,611**	**3,65,584**	**15,57,195**

****